



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 111]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, जून 24, 2004/आषाढ़ 3, 1926

No. 111]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 24, 2004/ASADHA 3, 1926

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जून, 2004

सं. 5-4/2000—ए एंड एल (खंड-II).—समय-समय पर यथासंशोधित, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की उप-धारा 10(1) और 36(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारी और स्टाफ नियुक्ति) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2004 में भूल-सुधार करते हुए जिसे अब आगे 'द्वितीय संशोधन' कहा जाएगा, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) एतद्वारा विनियम के रूप में निम्नलिखित शुद्धिपत्र जारी करता है :

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

(अधिकारी और स्टाफ नियुक्ति) (तृतीय संशोधन) विनियम, 2004

(2004 का क्रमांक 9)

भाग—I प्रारंभिक

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ :

- (i) इस विनियम को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारी और स्टाफ नियुक्ति) (तृतीय संशोधन) विनियम, 2004 कहा जाएगा।
- (ii) यह विनियम, सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।

भाग—II स्टाफ संवर्ग संबंधी विनियम

2. द्वितीय संशोधन के (अंग्रेजी पाठ में) संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ से संबंधित, भाग-I खंड 1(i) में, "(2nd Appointment)" को "(2nd Amendment)" पढ़ा जाए।

वाई. के. गेहा, सलाहकार (ए एंड एल)

[सं. विज्ञापन- 3/4/असाधारण/142/04]

TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA**NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th June, 2004

No. 5-4/2000—A&L (Vol. II).—In exercise of the powers conferred by the Sub-section 10(1) read with 36(1) of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 as amended from time to time, the Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) hereby issues the following corrigendum by way of a Regulation, amending the Telecom Regulatory Authority of India (Officers and Staff Appointment) (2nd Amendment) Regulation, 2004, hereinafter referred to as the '2nd Amendment'.

The Telecom Regulatory Authority of India (Officers and Staff Appointment) (3rd Amendment) Regulation, 2004
(9 of 2004)

PART-I PRELIMINARY

1. Short title and commencement

- (i) This Regulation shall be called the Telecom Regulatory Authority of India (Officers and Staff Appointment) (3rd Amendment) Regulation, 2004.
- (ii) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

PART-II REGULATION RELATING TO THE STAFF CADRE

2. In Part-I, Clause 1 (i) pertaining to short title and commencement of the 2nd Amendment the words "(2nd Appointment)" may be read as "(2nd Amendment)".

Y. K. GAIHA, Advisor (A&L)

[ADVT. No. 3/4/Exty/142/04]